न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 ....R...... I / 13 R-4011-I/13

केदारनाथ पुत्र स्व0 श्री विश्राम शर्मा निवासी रसाईयागली पुरानी सब्जी मण्डी कैलारस तह0 कैलारस जिला मुरैना ....आवेदक

दिनांक 8-11-13 को श्री श्रीकृष्ण शर्मा, अभि० द्वारा प्रस्तुत।

8-11-13

बनाम

ग्यासीराम पुत्र स्व0 श्री विश्राम शर्मा निवासी ग्राम दीपैरा तह0 कैलारस जिला मुरैना ....अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 11/10/2013 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय सबलगढ जिला मुरैना के प्र0क्र0 47/12–13 अपील/ निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता

8/11/13

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है–

01– यह कि ग्राम दीपैरा तह0 कैलारस जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र0 388, 593, 596, 607, 628, 631, 635, 654, 660, 757, 637, कुल किता 11 कुल रकवा 20 वीघा 10 विस्वा के भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी आवेदक एवं अनावेदक के पिता श्री विश्राम शर्मा पटवारी कागजात में अंकित थे।

02– यह कि आवेदक एवं अनावेदक के पिता विश्राम शर्मा द्वारा अपने जीवन काल में विवादित भूमियों के सम्बन्ध में एक वसियतनामा सम्पादित कर दिनांक 04/03/87 को सब रजिस्टार कैलारस में रजि0 कराया गया।

03– यह कि आवेदक व अनावेदक के पिता श्री विश्राम शर्मा की मृत्यु हो जाने पर नामान्तरण हेतु आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जो नामान्तरण पंजी क्र0 38 दिनांक 05/08/91 को दर्ज होकर आदेश दिनांक 23/09/91 द्वारा वसियत के अनुसार नामान्तरण किया जाकर पटवारी कागजात में अमल किया गया।

04– यह कि अनावेदक द्वारा दिनांक 23/09/91 के आदेश के विरूद्व सन् 2013 में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4011-एक/13 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निंगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	